

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगपुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी- सी०एल० शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 79/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट

अनवान

1. सोहनलाल पिता बरदा माली
2. महताबीदेवी पत्नि सोहनलाल माली
3. चांदीबाई पुत्री बरदा माली
4. मांगीबाई पुत्री बरदा माली  
सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरालाल पिता प्यारा माली
2. फुला पुत्री प्यारा माली
3. सोसर बेवा प्यारा माली
4. देवीलाल पिता भुरालाल जाट
5. भगवतीलाल पिता लक्ष्मीलाल संचेती
6. पीरू पिता डालचन्द सालवी  
सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 17/06/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2763 रकबा 0.35 हे०, 2764 रकबा 0.19 हे०, 2765/2 रकबा 0.11 हे०, 2767 रकबा 0.13 हे०, 2768/1 रकबा 0.21 हे०, 2771/2 रकबा 0.04 हे०, 2772 रकबा 0.17 हे०, 2773 रकबा 0.25 हे० भूमि कुल किता 08 कुल रकबा 1.45 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 1365 पर स्थित हैं एवं आराजी संख्या 2765/1 रकबा 0.04 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 1366 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 5 के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल०आर०एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2763 रकबा 0.35 हे०, 2764 रकबा 0.19 हे०, 2765/2 रकबा 0.11

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी  
गंगपुर जिला भीलवाड़ा  
ता. माह सन्

// 02 //

प्रकरण संख्या :- 79/2018  
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

हे0, 2767 रकबा 0.13 हे0, 2768/1 रकबा 0.21 हे0, 2771/2 रकबा 0.04 हे0, 2772 रकबा 0.17 हे0, 2773 रकबा 0.25 हे0 भूमि कुल किता 08 कुल रकबा 1.45 हे0 भूमि एवं आराजी संख्या 2765/1 रकबा 0.04 हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काशत में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी0एल0शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर (भीलवाड़ा)  
गंगापुर जिला राजस्थान